

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1- | निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ। | 2- | प्रधानाचार्य,
गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज,
लखनऊ। |
| 3- | प्रधानाचार्य,
बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज,
गोरखपुर। | 3- | प्रधानाचार्य,
सैफई स्पोर्ट्स कालेज,
सैफई। |

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2014

विषय- स्पोर्ट्स कालेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी में बढ़ोत्तरी एवं उनके डायट मैन्यू में सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 745/संगठन/मा0 मुख्यमंत्री घोषण/2014-15, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 262/बयालिस-2006-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 01 फरवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या- 3577/बयालिस-2010-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 20 जनवरी, 2011 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के अनुमन्य वर्तमान आहार दर रू0 100/- से बढ़ाकर रू0 200/- एवं आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु संचालित होने वाले केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों का आहार दर रू0 100/- से बढ़ाकर रू0 250/- किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त पदों के पुनरीक्षित के स्वरूप स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई के छात्रों पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित स्पोर्ट्स कोलजों को स्वीकृत/स्रोत राशि से वहन किया जायेगा। इसके लिए कोलजों द्वारा अतिरिक्त अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

(2)- आवासीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को आहार दर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को खेल निदेशालय द्वारा अपने वार्षिक आय-व्ययक में समाहित किया जायेगा।

(3)- आवासीय क्रीड़ा छात्रों, केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्बन्ध में परिवर्तित मैन्यू निदेशक खेल एवं स्पोर्ट्स कालेजों के सम्बन्ध में

परिवर्तित मैन्यू सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से जारी किया जायेगा तथा एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवा-104-खेलकूद के अन्तर्गत सुसंगत मदों में हुए प्राइज में वहन किया जायेगा।

3- उक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी। यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशा० पत्र संख्या- ई-5-1488/दस-2014, दिनांक 22.12.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या- 66/2922(1)/बयालिस-2014-तद्विनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)- महालेखाकार, 30प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र० इलाहाबाद।
- (2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र० इलाहाबाद।
- (3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/गोरखपुर।
- (4)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
- (5)- नियोजन अनुभाग- 4
- (6)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।